प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 16.06.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने भोपाल स्थित चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत उच्च श्रेणी लिपिक, हीरो केसवानी के विरुद्ध मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 10.06.2026 को लगभग 1.47 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू), भोपाल द्वारा दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जांच प्रारंभ की।

जांच में यह प्रकाशित हुआ कि दिनांक 01.01.2005 से 03.08.2022 की अवधि के दौरान हीरो केसवानी ने अपनी ज्ञात आय के वैध स्रोतों की तुलना में असंगत परिसंपत्तियाँ अर्जित कीं। इन परिसंपत्तियों का मूल्य लगभग 1.47 करोड़ रुपये पाया गया, जो उनकी वैध आय का लगभग 286.27 प्रतिशत है।

ईओडब्ल्यू, भोपाल द्वारा की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान हीरो केसवानी के आवास से 86.73 लाख रुपये नकद बरामद किए गए, जिसके संबंध में वह संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहे। आगे की जांच में यह भी सामने आया कि अपराध से अर्जित आय को उनकी पत्नी के नाम पर विभिन्न माध्यमों से स्थानांतरित एवं निवेश किया गया था, जबकि उनकी पत्नी के पास आय का कोई विश्वसनीय अथवा सत्यापनीय स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध नहीं था। घरेलू गतिविधियों से आय अर्जित होने संबंधी दावों का भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं पाया गया, जिससे ऐसे दावे असत्यापित सिद्ध हुए।

बैंक खातों के विश्लेषण से अनियमित नकद जमा एवं ऐसे वित्तीय लेन-देन का पता चला, जो उनकी ज्ञात आय के स्रोतों के अनुरूप नहीं थे। इससे यह संकेत मिलता है कि अपराध से अर्जित आय को विभिन्न स्तरों पर लेयरिंग कर वैध आय के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि अभियुक्त ने अपनी परिसंपत्तियों एवं आय संबंधी विवरण अपने विभाग को उपलब्ध नहीं कराए तथा परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां अर्जित कर उनके वास्तविक स्वामित्व को छिपाने का प्रयास किया। कुर्क की गई परिसंपत्तियों में अचल संपत्तियां, बैंक खातों में उपलब्ध धनराशि तथा नकद राशि शामिल हैं, जिन्हें अपराध से अर्जित आय पाया गया है। इन परिसंपत्तियों को छिपाने, हस्तांतरित करने अथवा उनके अपव्यय/विलुप्त होने की संभावना को रोकने के उद्देश्य से यह अस्थायी कुर्की की गई है।